

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के दोगी पट्टी के अन्तर्गत ग्राम गूलर में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान के निर्माण हेतु

भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ह0/-

  
अधिसासी अभियन्ता  
(प्रयोजन विभाग)  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान के निर्माण हेतु

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

परियोजना का नाम:-33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान गूलर का निर्माण कार्य  
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश संलग्न है।

ह0/-



अधिसासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड  
उत्तरखण्ड विद्युत निगम लि०  
नई दिल्ली ( टिहरी गढ़वाल )

मा0मुख्यमंत्री घोषणा

उत्तराखण्ड शासन  
मुख्यमंत्री कार्यालय अलमोरासं0 XXXV-4-768 घो0/2012  
दिनांक 21-11-2012

गयासद शासन।

मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 27-Oct-2012 को जनपद- टिहरी में निम्नलिखित घोषणा की गयी:-

| घोषणा संख्या    | घोषणा का विवरण                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 768/2012<br>उजा | गूलर-कौडियाला में 32 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण किया जायेगा। |

2- कृपया उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग) को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वस्तुस्थिति से मा0मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा सके।

(भास्करानन्द)

प्रभारी सचिव, मुख्यमंत्री

सं0-77 (मा/XXXV-4-768 घो0/2012 तददिनांक )

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त
- 2- प्रमुख सचिव, नियोजन।
- 3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, देहरादून।
- 4- जिलाधिकारी, टिहरी।

No 160 / 29/11/12  
A.D. 11/52 / A.C.R. / L.A.C

आज्ञा से,

(जी0सी0डालाकोटी)

अनु सचिव(लेखा), मुख्यमंत्री

जिलाधिकारी

टिहरी जनपद

26-11-2012

परिशिष्ट

## (देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म  
भाग-1  
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- 1.क)ग्राम गूलर में 33/11 के0वी0 उपसंस्थान का निर्माण कार्य

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। — संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।— 160 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। —विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 उपसंस्थान का निर्माण।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए) मैप। — लागू नहीं है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। — संभावना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:— .12 हेक्टेयर

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है  
क) परिवारों की संख्या — शून्य कोई नहीं।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या — शून्य कोई नहीं।

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) — शून्य कोई नहीं।

-2-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) — हां
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) —लागू नहीं है
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। —संलग्न है।



प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम AMIT KUMAR

दिनांक 19-7-13

स्थान New Tehri  
अधिसाक्षी अभियन्ता

मोहर विद्युत वितरण खण्ड  
उत्तरखण्ड पावर कारपोरेशन लि०  
नई दिल्ली ( दिल्ली गढ़वाल )

प्रस्ताव की कम संख्या.....  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

## भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)  
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

## 7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र — उत्तराखण्ड
- ii) जिला — — — टिहरी गढ़वाल
- iii) वन प्रभाग — — — नरेन्द्रनगर
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) —
- v) .12 हेक्टेयर
- vi) वन की कानूनी स्थिति — — — आरक्षित वन भूमि
- vii) हरियाली का घनत्व — — — 0.2
- viii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)।  
सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी  
संलग्न किए जाए — — — संलग्न है।
- ix) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। —  
भूक्षरण की संभावना नहीं है।
- x) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूर — वन सीमा के  
अन्तर्गत
- xi) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर  
आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ  
अनुबन्धित की जाए) —  
हाथी कारीडोर का हिस्सा है परन्तु प्रश्नगत क्षेत्र में हाथियों का आवागमन से बाहर है।
- xii) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं  
यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। — — — नहीं।
- xiii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण  
स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति  
प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, — — — नहीं।

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य  
और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या  
है। — — — परियोजना हेतु अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी  
अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।  
— — — लागू नहीं है।

## 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।.....
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित .....संलग्न है।
- iii. वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।  
.....संलग्न है।
- iv. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। —संलग्न है।  
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल
  - i. वित्तीय परिव्यय। ..... संलग्न है।
  - v. अ प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। .....संलग्न है।
  - vi. 11- वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।

## 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल .....नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। ..... 442100 हेक्टेयर।
- ii. जिला का वन क्षेत्र/वन प्रभाग ..... 62107.70 हेक्टेयर।
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।.....
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण.....
  - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि.....
  - (ख) वनेत्तर भूमि पर ..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
  - (क) वन भूमि पर ..... 504.17 हेक्टेयर।
  - (ख) वनेत्तर भूमि पर ..... 130 हेक्टेयर।

## 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 06/08/2013

स्थान मुनिन्दरी

सरकारी मोहर

हस्ताक्षर

नाम

राज्यीय वन विभाग  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनि-की-रेडी

# उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत 33/11 6 वीं विद्युत् उपसंस्था का निर्माण

## भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ?  
(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें **नहीं**
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। **हाँ**
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों **संस्तुति दी जाती है**  
के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि: 27-12-2013

स्थान: **मुक्तिनगर**

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

5

## भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,  
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की  
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल  
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

## भाग-5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी  
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश: (उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या भाग-IV में किसी अधिकारी या  
प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

**परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य**

### संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 04/06/2013 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री के0पी0रतूडी वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी, एवं श्री बी0पी0बहुगुणा, उपवनक्षेत्राधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री वैभव शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, मुनि की रेती, टि0ग0 एवं श्री आनन्द सिंह राणा, अवर अभियन्ता, मुनि की रेती द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.12 हे0. वन भूमि है एवं प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)...

| आरक्षित वन खण्ड का नाम | कार्य का विवरण                                  | ब्लॉक व कक्ष संख्या | वन भूमि की आवश्यकता |               | कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर | खंडे पेड़ों की संख्या |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  | 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य | सिंगटाली कक्ष सं0 1 | लम्बाई 40मी0        | चौड़ाई 30 मी0 | 0.12 हेक्टेयर          | 12                    |

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि स्थापित स्थल एवं निर्मित विद्युत लाईन में न्यूनतम वन भूमि एवं पेड़ हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

ह0/अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड  
(प्रमाणित एवं सही) प्रतिनिधि  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )  
प्रति हस्ताक्षरित

जिलाधिकारी

ह0/-

राजस्व विभाग प्रतिनिधि

ह0/-

वन विभाग प्रतिनिधि

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रमाणित वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

7A

# SITE INSPECTION NOTE BELOW THE RANK OF DCE

(For the forest land to be diverted under FCA)

A Proposal has been received by this office from uttarakhand power corporation limited(for diversion under FCE-1980) of 0.12 Ha. of Forest land non forestry purpose.The project envisages use of forest land for construction of 33/11kv-substation at gullar.The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 06-08-2013.

On inspection of the site,it is found that the land required by the user agency is a RF 0.12 Ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.No.2 part-1 in unavoidable and is base minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area.If, so the detail thereof:-NO

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monuments is located in the area,if,so the details there of with NOC from competent authority,if required:-NO

- The user agency has not violated the provisions of forest (conservation) Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- It has been found that the user agency has violated the forest conservation Act 1980 provisions.A detail report as per para 1.9 of chapter 1,para C of Handbook of forest (Conservation)Act 1980 as attached.NO

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place:Muni Ki Reti

Date 06/08/2013

  
वन विभाग  
मुख्य अधिकारी  
मनि की रेती

Name: \_\_\_\_\_

Designation: प्रधानीय वन अधिकारी

बरेल्लनगर वन प्रभाग

मनि.की-रेती

Office Seal:

N.B X State the purpose for which the forest land is purpose to be diverted.

XX Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter no.2-2/2000 fc Dated 16.10.2000 from ministry of Enviroment & Forests,Govt.of India for proposal involving less than 40 Ha. Of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 Ha. Of forest land site inspection report from conservator of forests is required.

परियोजना का नाम ..... 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

**लैन्ड शेड्यूल  
(वन विभाग)**

| जिला            | प्रभाग का नाम | वन ब्लॉक                  | लम्बाई | चौड़ाई | क्षेत्रफल (हे०) |
|-----------------|---------------|---------------------------|--------|--------|-----------------|
| टिहरी<br>गढ़वाल | नरेंद्रनगर    | सिंगटाली<br>कक्ष सं०<br>1 | 40मी०  | 30 मी० | .12 हेक्टेयर    |
|                 |               |                           | 40 मी० | 30 मी० | .12 हेक्टेयर    |

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी  
जनजातीय वनाधिकारी  
नरेंद्रनगर वन विभाग  
मुनि-की-रेहो

**लैन्ड शेड्यूल**

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

| जिला | तहसील | ब्लॉक      | खसरा सं० | कुल रकबा | याचित क्षेत्रफल (हे०) |
|------|-------|------------|----------|----------|-----------------------|
|      |       | <u>NIL</u> |          |          |                       |

ह०/-

जिलाधिकारी

सहायक जिलाधिकारी  
नरेंद्रनगर  
01/04/2013

जिलाधिकारी  
नरेंद्रनगर  
नरेंद्रनगर

लिय उप वन संरक्षक, नरेंद्रनगर वन प्रभाग.....

ग- / दिनांक: , 200.

### वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

सद- टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेंद्रनगर के दोगी पटटी के अन्तर्गत ग्राम गूलर में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 वीओ विद्युत उपसंस्थान के निर्माण हेतु 0.12 हे० वन भूमि का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

|            | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90से<br>उपर | योग    |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| वृक्षों के |      |       | 04    | 02    |       |       | 01    |       |       |             | 07     |
| वृक्षों के |      |       |       |       |       |       | 02    | 01    |       |             | 03     |
| वृक्षों के |      |       | 01    |       |       |       |       |       |       |             | 01     |
| वृक्षों के |      |       |       | 01    |       |       |       |       |       |             | 01     |
| वृक्षों के |      |       |       |       |       |       |       |       |       |             | 12 नं० |

*Shin*  
30/10

*[Signature]*  
वन अधीक्षक  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित  
*[Signature]*  
उप-प्रभारी वनाधिकारी  
विकासखण्ड उप वन प्रभाग

ह०/-

*[Signature]*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
विकासखण्ड वन प्रभाग  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
गूलर-टी-पट्टी

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची.....

संलग्न है।

  
वन क्षेत्राधिकारी  
मिलपुरी राबि, मुनि की रेती

प्रतिहस्ताक्षरित  
उप-प्रभारिता वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

ह0/-  
  
प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
पनि की-रेती

वृक्षों का विवरण सिंगटाली. कक्ष सं० 1

| पेड़ों की प्रजाती | 20-30 |       |      | 30-40 |       |      | 60-70 |       |       | 70-80 |       |       | योग   |
|-------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | सं०   | मूल्य | योग  | सं०   | मूल्य | योग  | सं०   | मूल्य | योग   | सं०   | मूल्य | योग   |       |
| कनजी              | 04    | 450   | 1800 | 02    | 1200  | 2400 | 01    | 5300  | 5300  |       |       |       | 9500  |
| हल्दी             |       |       |      |       |       |      | 02    | 16600 | 33200 | 01    | 22600 | 22600 | 55800 |
| बेल               | 01    | 420   | 420  |       |       |      |       |       |       |       |       |       | 420   |
| कुकाट             |       |       |      | 01    | 940   | 940  |       |       |       |       |       |       | 940   |
|                   |       |       |      |       |       |      |       |       |       |       |       |       | 66660 |

वन भूमि का मूल्य.....40मी०x30मी= 1200 वर्ग मी०

शेडयूल दर..... 3,50,000.00प्रति 20वर्ग मी०= 21,00000.00

66,660.00

सम्पूर्ण योग ..... 21,66,660.00

*[Signature]*  
30/10

**प्रतिहस्ताक्षरित**

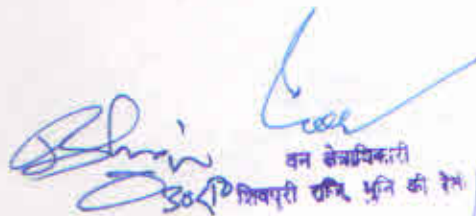
उप प्रभाग वन अधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

*[Signature]*  
(वनक्षेत्राधिकारी)  
सिंगपुरी रेंज

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के दोगी पट्टी के अन्तर्गत ग्राम गूलर, में 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान के निर्माण के लिये वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 6/8/2013 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

नोट... बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

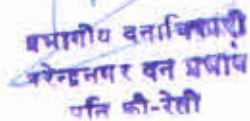
  
वन क्षेत्राधिकारी  
शिवपुरी एवं भूमि की सेवा

प्रतिहस्ताक्षरित

01  
उप-प्रभारी वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

ह0/-

वन संरक्षक

  
प्रभारी वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
पत्ति की-रेती

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है या नहीं है। :-

1. राष्ट्रीय पार्क प्रस्तावित स्थल से हवाई दूरी 03 कि०मी० है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित भूमि क्षेत्र में वनस्पति, मोर, प्राणी जाति कि दुर्लभ संकटपन्न विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती हैं।
3. प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित के अन्तर्गत कोई सुरक्षित पुरातत्वीय पारम्परिक स्थल/प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है।

  
30/10

  
वन के अधिकारी  
निवृत्ति रजि. मुनि की रेही

  
प्रतिनिधित्व  
उप प्रमाण प्रमाणकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

ह0/

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बनारस वनाधिकारी  
वरेन्द्रनगर वन विभाग  
मुनि-की-रेही

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र :- संलग्न है

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने की टोपोशीट का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायतभूमि को नीले रंग से नाप भूमि को अन्य रंग से, प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखणों को अन्य रंग से दर्शाया जाय। इसके अतिरिक्त मानचित्र में स्पष्ट संकेत सूची बनाकर मानचित्र में प्रभागीय वनाधिकारी, जिलाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर कराये जाये।



अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि।  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

डिजिटल मानचित्र - जनपद टिहरी के विकासखण्ड नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत गूलर में 33/11 कोठीय विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु

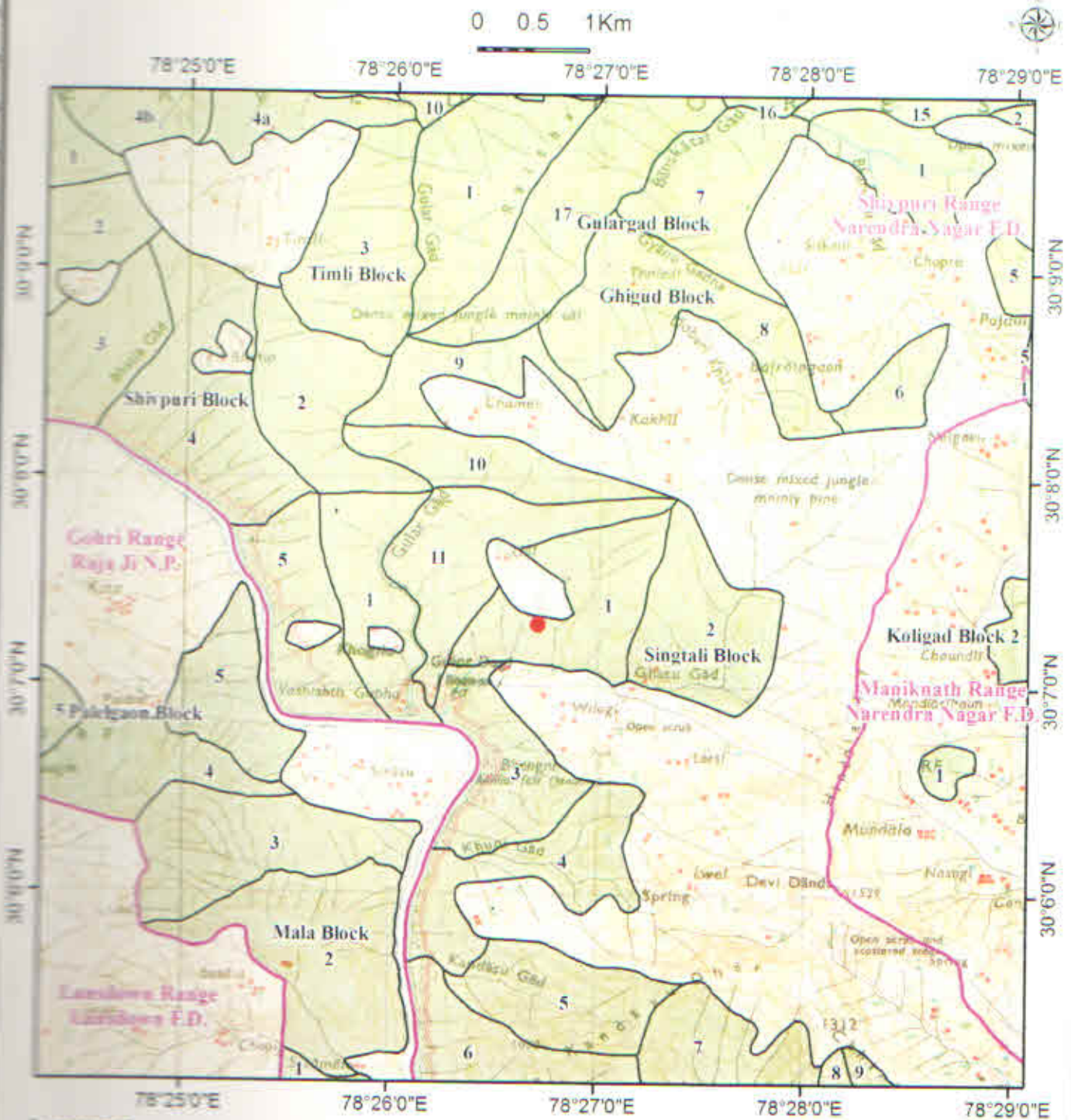


Legend

● Proposed Land

प्रतिहस्ताक्षरित  
उप प्रभारिता अधिकारी  
उप प्रभारिता अधिकारी  
उप प्रभारिता अधिकारी

डिजिटल मानचित्र - जनपद टिहरी के विकासखण्ड नरेन्द्र नगर के अर्न्तगत गुलर में 33/11 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु



Legend

- Proposed Land
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Division Forest Boundary

E.F.

आधेशासी अधिकारी

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

इ.प्र.स.जी. व.न.प्र.स.जी.जी.  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
भू-मि. की-रेती

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने की टोपोशीट का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से नाप भूमि को अन्य रंग से दर्शाकर उसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को स्पष्ट रूप से लाल रंग से दर्शाया जाय व क्षतिपूरक स्थल तक पहुँच मार्ग भी मानचित्र में दर्शाया जाय। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का चयन सिविल/वन पंचायत भूमि में ही किया जाय। यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का चयन आरक्षित वन भूमि में किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्पष्ट आख्या/टिप्पणी उपलब्ध करायी जाये। मानचित्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर करायें जायें।

  
30/10  
प्रदेशीय वन अधिकारी  
विजयपुर जिला, गुजरात

  
प्रदेशीय वन अधिकारी  
विजयपुर जिला, गुजरात

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण

परियोजना का नाम: जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के दोगी पट्टी के अन्तर्गत ग्राम मूलर,  
में 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य क्षेत्रफल: 0.12 हेक्टेयर

| क्र0सं0                                               | कार्य का नाम                       | नपत              | मात्रा    | दर            | घनराशी          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1.                                                    | सर्वेक्षण एवं सीमांकन              | -                | 0.24 है0  | @59/-         | 14.16           |
| 2.                                                    | क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान)       | -                | 0.24 है0  | @1974/-       | 473.76          |
| 3.                                                    | दीवाल बन्दी कार्य (36 मी0)         | 0.60+45/2 X 1.20 | 22.68 है0 | @158/-        | 3583.44         |
| 4.                                                    | मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य           | -                | -         | -             | 10000.00        |
| 5.                                                    | गड्ढा खुदान कार्य                  | 0.30 .30 X.45    | 480सं0    | @4.16/-       | 1996.80         |
| 6.                                                    | निरीक्षण बटिया                     | -                | 0.24 है0  | ल0स0/-        | 500.00          |
| 7.                                                    | पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)         | -                | 480 पौधे  | @2.84/-       | 1363.20         |
| प्रथम चरण योग                                         |                                    |                  |           |               | 17931.36        |
| 1.                                                    | गड्ढा भरान कार्य                   | .30X.30 X.45     | 480गड्ढे  | @0.74/-       | 355.20          |
| 2.                                                    | पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)       | -                | 480 पौधे  | @0.94/-       | 451.20          |
| 3.                                                    | पौधों का ढुलान कार्य               | -                | 480 पौधे  | @2.71/-       | 1300.80         |
| 4.                                                    | पौध रोपण कार्य                     | -                | 480 पौधे  | @1.48/-       | 710.40          |
| 5.                                                    | निराई,गुड़ाई,मलचिंग कार्य          | -                | 480 पौधे  | @1.99/-       | 955.20          |
| 6.                                                    | रासायनिक खाद,दवा (दो बार)          | -                | 480 पौधे  | @0.26/-       | 124.80          |
| 7.                                                    | देखरेख सुरक्षा कार्य               | -                | 0.24 है0  | @1800 प्र0है0 | 432.00          |
| 8.                                                    | अग्नि सुरक्षा एवं गोष्ठी आदि कार्य | -                | 0.24 है0  | @921 प्र0है0  | 221.04          |
| 9.                                                    | मृदा एवं जलसंरक्षण कार्य           | -                | 0.24 है0  | @ ल0स0        | 3500.00         |
| द्वितीय चरण योग                                       |                                    |                  |           |               | 8050.64         |
| तृतीय चरण में देखरेख सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य  |                                    |                  |           |               | 432+221 =653.00 |
| चतुर्थ चरण में देखरेख सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य |                                    |                  |           |               | 653.00          |
| पंचम चरण में देखरेख सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य   |                                    |                  |           |               | 653.00          |
| षष्ठम चरण में देखरेख सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य  |                                    |                  |           |               | 653.00          |
| सप्तम चरण में देखरेख सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य  |                                    |                  |           |               | 653.00          |
| अष्टम चरण में देखरेख सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य  |                                    |                  |           |               | 653.00          |
| नवम चरण में देखरेख सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य    |                                    |                  |           |               | 653.00          |
| दशम चरण में देखरेख सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य    |                                    |                  |           |               | 653.00          |
| सम्पूर्ण योग                                          |                                    |                  |           |               | 31206/-         |
|                                                       |                                    |                  |           |               | 31200/-         |

*[Signature]*  
30/10

वन सहायक  
टिहरी गढ़वाल, भुवि की ३०

प्रतिहस्ताक्षरित

वन प्रभारी वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

(प्रभागीय वनाधिकारी)  
प्रभागीय वन सहायक  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
भुवि की-३०

परियोजना का नाम:- 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपर्युक्ता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में एक हेक्टेयर से कम क्षेत्र प्रभावित होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना नहीं बनायी जानी है।



ह०/-

अधिशाली अभियन्ता  
(परियोजना एजेंसी)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

वारचार्ट

कि०मी०

कि०मी०

| 20 मी० | 20 मी० | 20 मी० | 20 मी० | 20 मी० |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |        |

|                        |  |
|------------------------|--|
| आरक्षित वन भूमि        |  |
| सिविल एवं सोयम वन भूमि |  |
| वन पंचायत भूमि         |  |
| नाप भूमि               |  |



ह०/

अधिरासी अभियन्ता

प्रयोक्ता एजेन्सी

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

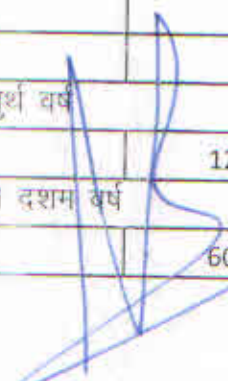
संलग्न है



अधिसूची अभियन्ता  
विद्युत विभाग, गण्ड  
(प्रयोजिता एजेंसी)  
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि०  
नई दिल्ली ( दिल्ली महानगर )

| 33/11 के0वी0 उप संस्थान (गूलर क्षेत्र) सिंगटाली कक्ष सं0 01, (0.12है0) |                                                                                        |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 500 वृक्षों का वृक्षारोपण (आस पास रिक्त पड़े स्थान पर) प्रॉवकलन        |                                                                                        |                      |                |
| पौधों की संख्या :- 500 वृक्षों का रोपण                                 |                                                                                        | जिला :- टिहरी गढ़वाल |                |
| क0 सं0                                                                 | कार्य का नाम                                                                           | इकाई                 | दर धनराशि      |
| प्रथम वर्ष के प्रथम चरण                                                |                                                                                        |                      |                |
| 1                                                                      | सर्वेक्षण एवं सीमांकन                                                                  | 500 वृक्ष            | @ L.S 50.00    |
| 2                                                                      | क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)                                                       |                      | L.S 1000.00    |
| 4                                                                      | पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)                                                             | 500 वृक्ष            | @ 4.18 2090.00 |
| 6                                                                      | गढ़दों का खुदान कार्य करना (0.30X0.30X0.45 मी0)                                        | 500 वृक्ष            | @ 4.92 2460.00 |
| 7                                                                      | जल संरक्षण एवं संग्रहण                                                                 |                      | L.S 2000.00    |
| द्वितीय चरण                                                            |                                                                                        |                      |                |
| 1                                                                      | गढ़दा भरान कार्य (0.30X0.30X0.45मी0)                                                   | 500 न0               | @ 0.88 440.00  |
| 2                                                                      | पौधों की कीमत 25 प्रतिशत (द्वितीय वर्ष)                                                | 500 न0               | @ 1.39 695.00  |
| 3                                                                      | पौध दुलान                                                                              | 500 न0               | @ 5 2500.00    |
| 4                                                                      | पौध रोपण                                                                               | 500 न0               | @ 1.77 885.00  |
| 5                                                                      | निराई गुड़ाई व थालाबन्दी दो बार                                                        | 500 न0               | @ 2.33 1165.00 |
| 6                                                                      | देख रेख/सुरक्षा पर व्यय                                                                | 7 माह                | 1500 10500.00  |
| 7                                                                      | वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास,फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0 |                      | L.S 500.00     |
| तृतीय चरण                                                              |                                                                                        |                      |                |
| 1                                                                      | अनुरक्षण एवं रख रखाव 12 माह 1 श्रमिक                                                   | 12 माह               | 1500 18000.00  |
| 2                                                                      | क्षतिपूर्ति हेतु खोदे गये गढ़दों में मिट्टी भरान करना                                  |                      |                |
| 3                                                                      | पौध का मूल्य 25 प्रतिशत                                                                |                      |                |
| 4                                                                      | पौध रोपण करना                                                                          |                      |                |
| 5                                                                      | निराई गुड़ाई दो बार                                                                    |                      |                |
| चतुर्थ वर्ष                                                            |                                                                                        |                      |                |
| 1                                                                      | रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य                                                             | 12 माह @ 1500        | 18000.00       |
| पंचम से दशम वर्ष                                                       |                                                                                        |                      |                |
| 1                                                                      | रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य                                                             | 60 माह @ 1500        | 90000.00       |
|                                                                        |                                                                                        |                      | 150285.00      |

  
 उप प्रमाणीय वताधिकारी  
 देवप्रसाग उप वन प्रभाग  
 जलेश्वर वन प्रभाग

  
 प्रमाणीय वताधिकारी  
 जलेश्वर वन प्रभाग  
 जलेश्वर

  
 राजि अधिकारी  
 शिवपुरी राजि

33/11 के0वी0 उप संस्थान (गूलर क्षेत्र) सिंगटाली कक्ष सं0 01, 0.12 है0

वृक्षारोपण प्रॉक्कलन

पौधों की संख्या :- 120 वृक्षों का रोपण

जिला :- टिहरी गढ़वाल

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | इकाई | दर | धनराशि |
|----------|--------------|------|----|--------|
|----------|--------------|------|----|--------|

प्रथम वर्ष के प्रथम चरण

|   |                                                 |           |        |         |
|---|-------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन                           | 120 वृक्ष | @ L.S  | 50.00   |
| 2 | क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)                |           | L.S    | 1000.00 |
| 4 | पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)                      | 120 वृक्ष | @ 4.18 | 501.60  |
| 6 | गढ़दों का खुदान कार्य करना (0.30X0.30X0.45 मी0) | 120 वृक्ष | @ 4.92 | 590.40  |
| 7 | जल संरक्षण एवं संग्रहण                          |           | L.S    | 2000.00 |

द्वितीय चरण

|   |                                                                                         |        |        |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 1 | गढ़दा भरान कार्य (0.30X0.30X0.45 मी0)                                                   | 120 न0 | @ 0.88 | 105.60   |
| 2 | पौधों की कीमत 25 प्रतिशत (द्वितीय वर्ष)                                                 | 120 न0 | @ 1.39 | 166.80   |
| 3 | पौध दुलान                                                                               | 120 न0 | @ 5    | 600.00   |
| 4 | पौध रोपण                                                                                | 120 न0 | @ 1.75 | 210.00   |
| 5 | निराई गुड़ाई व थालाबन्दी दो बार                                                         | 120 न0 | @ 2.33 | 279.60   |
| 6 | देख रेख/सुरक्षा पर व्यय                                                                 | 7 माह  | 1500   | 10500.00 |
| 7 | वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0 |        | L.S    | 500.00   |

तृतीय चरण

|   |                                                       |        |      |          |
|---|-------------------------------------------------------|--------|------|----------|
| 1 | अनुरक्षण एवं रख रखाव 12 माह 1 श्रमिक                  | 12 माह | 1500 | 18000.00 |
| 2 | क्षतिपूर्ति हेतु खोदे गये गढ़दों में मिट्टी भरान करना |        |      |          |
| 3 | पौध का मूल्य 25 प्रतिशत                               |        |      |          |
| 4 | पौध रोपण करना                                         |        |      |          |
| 5 | निराई गुड़ाई दो बार                                   |        |      |          |

चतुर्थ वर्ष

|   |                            |        |        |          |
|---|----------------------------|--------|--------|----------|
| 1 | रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य | 12 माह | @ 1500 | 18000.00 |
|---|----------------------------|--------|--------|----------|

पंचम से दशम वर्ष

|   |                            |        |        |          |
|---|----------------------------|--------|--------|----------|
| 1 | रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य | 60 माह | @ 1500 | 90000.00 |
|---|----------------------------|--------|--------|----------|

142504.00

C/S  
उप प्रमाणीय वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग  
रेवेन्यू वन प्रभाग

प्रमाणीय वनाधिकारी  
रेवेन्यू वन प्रभाग  
दि. 01.12.20

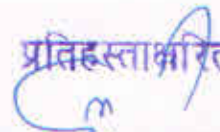
राजि अधिकारी  
शिवपुरी राजि

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से 12 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।


  
 वन अधिकारी  
 विनयपुरा, जमि, मुनि की रेती

  
 प्रतिहस्ताक्षरित  
 उप प्रभागीय वनाधिकारी  
 देवप्रयाग उप वन प्रभाग

  
 ह0/-  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 देवप्रयाग उप वन प्रभाग  
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
 मुनि की-रेती

परियोजना का नाम:- 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

ह०/- 

प्रयोगशाला अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड  
उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सलग्न है।

ह0/-

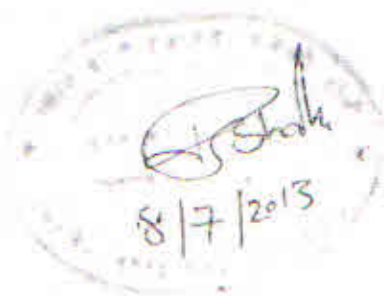
प्रधान/सरपंच

मोहर

21A

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

निम्न किया जाता है कि मूलर क्षेत्र में विद्युत विमान द्वारा जो  
कोई सब-स्टेशन बनाया जाना है उस पर क्षेत्रवासियों को कोई  
बाधा नहीं है।





जिला पंचायत सदस्य  
45 बडीर पट्टी दोगी  
जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:- 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र।

आरक्षित वन भूमि की लम्बाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर कुल 1200 वर्ग मीटर अर्थात 0.12 हे० है।

ह०/   
अधिसासी अभियन्ता  
विद्युत प्रयोजन एजेंसी  
उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु वैकल्पिक समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण उचित न होने के कारण निरस्त किया गया।

ह०/



अभिषेक कुमार  
प्रमुख, विद्युत वितरण खण्ड  
उत्तराखण्ड बावर कालपोरेशन लि०  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

### कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/-

अधिशाली अभियन्ता  
(प्रयोक्ता एजेन्सी) बण्ड  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०  
नई टिहरी ( टिहरी मढ़वाल )

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रोगेन्द्रनगर वन प्रभाग  
नई टिहरी

30/10

वन एजेन्सी  
उत्तराखण्ड, भूमि की सेवा

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

मू-वैज्ञानिक की आख्या

सलग है

0/- 

योक्ता एजेंसी)  
विद्युत वितरण खण्ड  
राखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि.  
ई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी

  
30/12

  
न. देवप्रसाद  
विद्युत वितरण खण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

  
उप-प्रभागीय वनाधिकारी  
देवप्रसाद उप वन प्रभाग

## Geological Assessment of the proposed land for 33 KV sub station at Gular Kauriyala, Distt Tehri Garhwal.

Vijay Dangwal

04-07-2014

1. **Introduction:-** The Electricity Distribution Divison New Tehri has propped the construction of 33 KV Sub station at Gular Kauriyala in District Tehri Garhwal. On the request of Er. Amit Kumar, Executive Engineer, EDD, New Tehri, I carried out the geological assessment of the ground measuring 40 mtr. \* 30 mtr L\*B, proposed for the construction of the above said Sub Station on 04-07-2014. The officers i.e. Er. Saurabh Chamoli, Asstt. Engineer and Er. Anand Singh Rana, the concerned Jr. Engineer accompanied the site visit.
2. **Location:-** The proposed site for 33- KV Sub Station at Gular Kauriyala is located on a natural terrace in the downhill slopes adjacent to Km.15 to Nai on Gular -Pao -Ki-Devi motor road in Narendranagar Block, Distt. Tehri Garhwal.
3. **Geological Assessment:-** Geologically the ground proposed for the construction of 33-KV Sub station lies in the outer lands of garhwal Lesser Himalayan Belt bounded by the Main Central Thrust (MCT) to north and Main Boundry Thrust (MBT) to south. The entire gamut bearing the proposed ground and it's surrounding is occupied by the rocks of Jaunsar Group which in the area are represented by the quartzites of Nagthat formation overlain by the phyllites of Chandpur formation. At the site proposed for the construction of Sub Station the rock masses are covered by the overburden material entirely comprised of residual soils containing plastic clays in abundance. The proposed ground bears a very low angle less than 50 and it is oriented in N 200 direction. After a short break in slope gradient about 1-2m order in the down the stream margin of the proposed ground the slope further extends laterally for a considerable length. The land at this site is fully compacted by the process of natural compaction and it has attained high degree of density. The "Undrained Shear Strength" of the ground forming material at the site has been assessed ranging between 400k Pa to 500 k Pa which consisted to the "Very Stiff" soil classification.

(25A)

-2-

By and large the ground in question bears higher values of physical competency and it is free from soft/ dispersive soils.

The entire ground and it's surrounding areas do not contain sensitive soils.

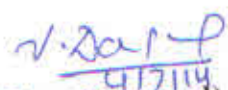
The entire area proposed for the 33 KVA Sub Station is largely devoid of vegetation and marked by the scanty vegetation.

On the basis of above, the study carried at the site and the facts mentioned above, the following recommendations are being made for the proposed construction failing to these the report will be treated as cancelled.

#### **4. Recommendation:-**

- (i) In order to develop the terrace not dispose the cut/ excavated material into valley side otherwise dispose the waste on topographically suitable dump yards.
- (ii) The foundation of the proposed building of Sub Station and adjoining SGR building must be designed properly based in the ground characteristics.
- (iii) The proposed structures will be constructed in the geodynamically active Himalayan Belt therefore The buildings must be designed earthquake resistant.
- (iv) The entire premise of the Sub Station must have adequate surface drainage arrangements and the drained water must be disposed on the safe ground.
- (v) The entire terrace must be protected by the retaining and breast walls in order to maintain the over all stability.
- (vi) It will be better to seal the entire surface of the premise in order to check the water ingress into the sub surface material.

**5. Conclusion:-** On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the proposed ground measuring 0.12 ha land was found suitable for the construction of 33-KV Sub Station at Gular Kauriyala In Narendranagar Block Tehri Garhwal.

  
(Vijay Dangwal)  
Sr. Geologist  
Office of the Engineer in Chief,  
PWD Dehradun

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्यकरते समय पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

ह0/



अधिरासी अभियन्ता  
प्रयोजन विभाग

उत्तराखण्ड बावर कारपोरेशन लि०  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

### Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 विद्युत वितरण खण्ड  
 उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०  
 नई दिल्ली ( दिल्ली गढ़वाल )

- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

ह0/-

अधिकांसी अभियन्ता

प्रयोक्ता एजेन्सी

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि०  
नई दिल्ली ( दिल्ली गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान विभाग द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

ह०/



अधिसासी अभियन्ता  
प्रशिक्षण विभाग

उत्तराखण्ड जल कारपोरेशन लिमिटेड  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.12 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

ह0/  
अभिषेकजी अभियन्ता  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
विद्युत वितरण खण्ड  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0  
नई टिहरी ( टिहरी मक़्दाल )

ह0/  
प्रभागीय वनाधिकारी  
बनारसीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनि-की-रेली

ह0/  
जिलाधिकारी

Shin  
30/10

कम विकासधारी  
जिलाधारी राबि. मुनि की रेली

प्रविहस्ताक्षरित  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

अभिषेकजी अभियन्ता  
प्रियो अधिकारी  
विद्युत वितरण

प्रविहस्ताक्षरित  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर  
टिहरी मक़्दाल

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

ह0/-

अधिरासी अभियन्ता  
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

सतसखण्ड पावर कारपोरेशन लि0  
नई दिल्ली ( दिल्ली गवर्णमेंट )

ह0/-

प्रमाणित वनाधिकारी  
बभ्राणीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
पनि-बी-रेली

ह0/-

जिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी  
शिवपुरी राबि, मुनि की रेली

प्रतिहस्ताक्षरित  
उप-प्रमाणित वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणित  
प्रिया अधिकारी  
शिवपुरी गवर्णमेंट

जिलाधिकारी  
नरेन्द्रनगर  
शिवपुरी गवर्णमेंट

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

जनपद टिहरी के ब्लॉक नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत दोगी पट्टी में आने वाले समस्त ग्रामों को लाभ प्राप्त होगा।

ह0

अधिशाली अभियन्ता  
प्रविष्ट विद्युत विभाग  
उत्तराखण्ड राज्य कारपोरेशन लि0  
गई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का  
प्रमाण-पत्र.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रायोजन हेतु 0.12 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के  
एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 0.24 हे० में देयक्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि  
वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार.....द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

ह०/-



अधिरासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण विभाग

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

H0/-

अधिसूची अधिनियम

प्रयोक्ता एजेन्सी

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०  
नई दिल्ली ( दिल्ली गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.12 हे0 वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपय 8,45,000/रू0 प्रति हे0 है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू0 101400/रू0 प्रति हे0 होता है। तथा वार्षिक लीज रेंट .....प्रतिशत की दर से .....रू0 होता है।

प्रमाणित वन अधिकारी  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
मुनि-फी-रेली

प्रमाणित वन अधिकारी  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
मुनि-फी-रेली

ह0/-

जिलाधिकारी

7/5  
11/11/13  
प्रमाणित वन अधिकारी  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
मुनि-फी-रेली

प्रमाणित वन अधिकारी  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
मुनि-फी-रेली

उप जिलाधिकारी  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
मुनि-फी-रेली

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि 101400 /रु0.....  
 प्रस्ताव....विभाग.....द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि  
 मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की  
 अतिरिक्त धनराशि भी .. प्रस्ताव....विभाग ..... द्वारा जमा करा दी जायेगी।

ह0/-  
 अध्यासी अभियन्ता  
 प्रयुक्ता एजेंसी  
 विद्युत वितरण खण्ड  
 उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि.  
 नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

Cost Benefit Ratio ChartName of Project - CONSTRUCTION OF 33/11 KV SUB-STATION AT GULAR

Block:-NARENDERANAGAR

Disti:-TEHRI

| SL. No. | Particulars                                                          | Amount            | Remark |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1       | <b>Total cost (Investment incurred)</b>                              |                   |        |
| (A)     | Construction Cost of Project                                         | <b>1.72 crore</b> |        |
| (B)     | N.P.V. Amount to be disposed @ 9.20 lak/Hararc 5 x9.20=              |                   |        |
| (D)     | Substitute/Alternation Planlation Cost to be Disposed:-              |                   |        |
|         | Total                                                                |                   |        |
| 2       | <b>Benefits:-</b>                                                    |                   |        |
|         | Bebefits from (Taking Age of Road As 50 Years)                       |                   |        |
| (A)     | Economics Benefits-Market Development Taking                         |                   |        |
| (B)     | Direct Employment of Labours-                                        | <b>22.50 lac</b>  |        |
| (C)     | Employment Generation Due to other activities                        |                   |        |
| Note    | Therefore construction of Economically Viable and social beneficial. |                   |        |

Name of Project:- CONSTRUCTION OF 33/11 KV SUB-STATION AT GULAR

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Nature of Proposal

Annexure-VI (B)

| Sl.no. | Parameters                                                                                                                                                                                                                    | Roads Tr. lines & Raliway line |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                              |
| 1      | Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annul basis, including loss of man hours per annum of people who derived livelihood and wage from the harvest of these commodities                           | nil                            |
| 2      | Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder                                                                                                                                                               | nil                            |
| 3      | Cost of human resettlement                                                                                                                                                                                                    | nil                            |
| 4      | Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project. | nil                            |
| 5      | Environmental losses:(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)                                                                                            | nil                            |
| 6      | Suffering to oustees                                                                                                                                                                                                          | nil                            |

Name of Project:- CONSTRUCTION OF 33/11 KV SUB-STATION AT GULAR

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Nature of Proposal

Annexure-VI (C)

| Sl.no. | Parameters                                                                                                     | Roads Tr. lines & Raliway line |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1      | Increase in productivity attributable to the specific project.                                                 | _____                          |
| 2      | Benefits to economy                                                                                            | _____                          |
| 3      | No. of population benefited.                                                                                   | 3000                           |
| 4      | Employment potential.                                                                                          | _____                          |
| 5      | Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.                                          | _____                          |
| 6      | Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.                   | _____                          |
| 7      | Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.    | _____                          |
| 8      | Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction. | _____                          |

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

स्थल विशिष्ट न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं है।

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
पनि-की-रेती

*[Signature]*  
30/5/13

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

ह0/-

जिलाधिकारी,

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभागीय वनाधिकारी  
देवप्रसाद उप वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

*[Signature]*

उप-जिलाधिकारी  
नरेन्द्रनगर  
नरेन्द्रनगर  
नरेन्द्रनगर

*[Signature]*  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

परियोजना से उत्पादित मलवों के निस्तारण की समानचित्र योजना

संलग्न है।

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी



व. वनाधिकारी  
विष्णुपुरी एम. युन. बी. रोड



30/12

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग



ह0/-

अधिरासी अभियन्ता  
प्रयोगकर्ता एजेंसी  
विद्युत वितरण खण्ड  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0  
नई दिल्ली ( डिहरी गढ़वाल )

41A

33/11के0वी0 विद्युत उपसंस्थान निर्माण कार्य हेतु मक डिस्पोजल प्रॉक्कलन

| क्र.सं. | कार्य का विवरण                  | संख्या | नपत             |      |      | परिमाण                | दर       | धनराशि    |
|---------|---------------------------------|--------|-----------------|------|------|-----------------------|----------|-----------|
|         |                                 |        | ल०              | चौ०  | ऊ०   |                       |          |           |
| 1       | कुनियाद खुदान<br>स्थान सदा      | 15     | 3.50            | 1.50 | 0.50 | 39.38                 | @ 34.20  | 2500.88   |
|         |                                 | 15X2   | 0.50            | 1.25 | 1.00 | 18.75                 |          |           |
|         |                                 | 15x2   | 0.50            | 1.00 | 1.00 | 15.00                 |          |           |
|         |                                 |        |                 |      |      | 73.13 M <sup>3</sup>  |          |           |
| 2       | कुनियाद में आर० आर० ड्राई चिनाई | 15     | 3.50            | 1.50 | 0.50 | 39.38                 | @ 971.00 | 182062.50 |
|         |                                 | 15     | 4.50            | 1.25 | 1.00 | 84.38                 |          |           |
|         |                                 | 15     | 5.50            | 1.00 | 1.00 | 82.50                 |          |           |
|         |                                 |        |                 |      |      | 206.25 M <sup>3</sup> |          |           |
|         | (-) आर० आर० ड्राई               | 15     | $\frac{3+2}{2}$ | 1.00 | 0.50 | 18.75                 |          |           |
|         |                                 |        |                 |      |      | 187.50 M <sup>3</sup> |          |           |
|         |                                 |        |                 |      |      |                       |          | 184563.38 |

Or Say 184500.00

#### इन विस्तरेषण

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| खानों का बुलान 3 किमी0दूरी से खच्चरों द्वारा |               |
| खान 1/2 किमी0 @ 10/- 20Q                     | 200.00        |
| खान 2.5 किमी0 @ 5X2.5X 2 20Q                 | 500.00        |
| खान चिनाई आर0 आर0 Dry                        | 271.00        |
|                                              | <u>971.00</u> |

सन क्षेत्राधिकारी  
शिवपुरी वन विभाग  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
मुनि की रेती

प्रभागीय वनधिकारी  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
मुनि-की-रेती

उप प्रभागीय वनधिकारी  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
मुनि की रेती

## ESTIMATE

some of work :-

Disposal of Earth/Mulch from the Construction Site  
33/11 KV Sub-Station Gular Kaniyaaba Tehsi Gairwal

[illegible]

Agg:  
J.E

अधिकांश अभियन्ता  
विद्युत जानपद खण्ड  
उत्तराखण्ड उर्जा निगम लि०  
श्रीनगर (गढ़वाल)

~~S.D.O.~~

### मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की माँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।



अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड  
उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०  
नं० विमरी ( टिहरी गढ़वाल )

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में मू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।



ह0 /

आधशासी अभियन्ता

प्रभुवर्तितस्थे न्दीड

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि०

नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

ह०/-   
 अधिशासी अभियन्ता  
 प्रसूतता विभाग  
 उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०  
 नई दिल्ली ( दिल्ली महानगर )

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर ली जा रही है।



ह0/-

अधिशाली अभियन्ता

प्रयोक्ता एजेन्सी

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.  
नई दिल्ली ( दिल्ली गढ़वाल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वन भूमि के ट्रीटमेन्ट हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान प्रस्तुत है।

आवश्यकता नहीं है।

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी

  
वन हेतु अधिकारी  
जिल्ला रक्षक, मुनि की रेल  
  
30/10

प्रतिहस्ताक्षरित

उप-प्रभागीय वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

ह0/-

अतिरिक्त प्रमुख  
प्रयोक्ता एजेन्सी

पुनराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०  
नई दिल्ली ( दिल्ली गठबल )

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

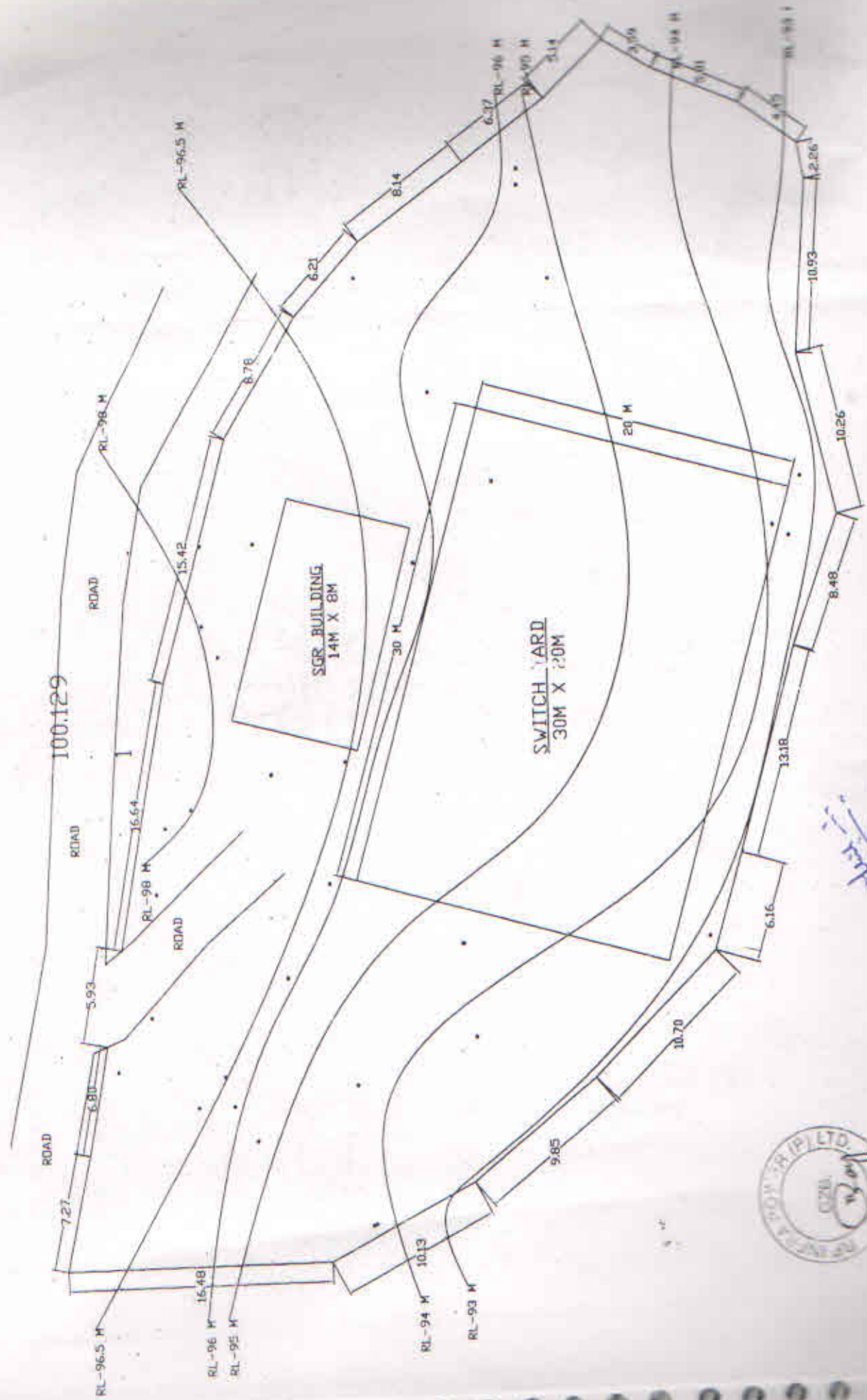
प्रस्तावित परियोजना का ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण  
संलग्न है।

H0/

  
अभिषासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

47A

# PROPOSED LAND FOR 33 KVA SUB STATION GULAR KAURIYALA DISTT-TEHRI



NOTE-EARTH CUTTING=750 CUM

परियोजना का नाम:- 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें

वृक्षों एवं वन भूमि का आउटटर्न - सिंगटाली. कक्ष सं0 1

| पेड़ों की प्रजाती | 0-10 | 10-20 | 20-30                | 30-40                 | 40-50 | 50-60 | 60-70                  | 70-80                  | 80-90 | 90-से ऊपर | योग                |
|-------------------|------|-------|----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------|------------------------|-------|-----------|--------------------|
| कनजी              |      |       | 04@450/-<br>=1800.00 | 02@1200/-<br>=2400.00 |       |       | 01@5300/-<br>=5300.00  |                        |       |           | 07 नं0<br>9500.00  |
| हल्दू             |      |       |                      |                       |       |       | 02@16600/<br>=33200.00 | 01@22600/<br>=22600.00 |       |           | 03 नं0<br>55800.00 |
| बेल               |      |       | 01@420/-<br>=420.00  |                       |       |       |                        |                        |       |           | 01 नं0<br>420.00   |
| कुकाट             |      |       |                      | 01@940/-<br>=940.00   |       |       |                        |                        |       |           | 01 नं0<br>940.00   |
|                   |      |       |                      |                       |       |       |                        |                        |       |           | 12 नं0<br>66660.00 |

वन भूमि का मूल्य.....40मी0x30मी= 1200 वर्ग मी0

शेडयूल दर..... 3,50,000.00प्रति 20वर्ग मी0= 21,00000.00

66,660.00

सम्पूर्ण योग .....

21,66,660.00

*[Signature]*  
30/10

प्रतिहस्ताक्षरित  
उप प्रमानीय वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

*[Signature]*  
( वनक्षेत्र अधिकारी )  
शिवपुरी जिला की सेवा

## पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

यदि मोटर मार्ग का विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित हो तो पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र संलग्न किया जाय तथा मार्ग के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण का उल्लेख किया जाय ।.....लागू नहीं है।

ह0



उत्तराखण्ड विद्युत वितरण खण्ड  
प्रयोक्ता एजेन्सी  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.  
नई टिहरी ( टिहरी गढ़वाल )

ह0

प्रभागीय वनाधिकारी



वन क्षेत्राधिकार  
शिवपुरी राबि पुन की रेता



उक्त प्रभागीय वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग

उत्तराखण्ड उर्जा निगम द्वारा जनपद नई टिहरी  
के विकास खण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत गूलर क्षेत्र  
में ३३/११ के०वी० विद्युत उपसंस्थान के निर्माण  
हेतु

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
के अन्तर्गत भारत सरकार,  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की  
स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि  
हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

- |   |             |            |
|---|-------------|------------|
| ① | आश्रित भूमि | - ०.१२ हे० |
| ② | मिविल भूमि  | - -        |
| ③ | बाप भूमि    | - -        |

योग - ०.१२ हे०

## विषय सूची

| क्र०सं० | प्रपत्र                                                                                            | पृष्ठ संख्या |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | प्रतिवेदन                                                                                          | 01           |
| 2       | परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति                                                         | 02           |
| 3       | भारत सरकार के प्रपत्र                                                                              | 03-06        |
| 4       | संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट                                                                           | 07           |
| 5       | प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल                                                                  | 08           |
| 6       | प्रभावित वृक्षों की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची                                                 | 09-11        |
| 7       | बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र                                                     | 12           |
| 8       | राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र                                            | 13           |
| 9       | प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र                                              | 14           |
| 10      | क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना                                                         | 15           |
| 11      | क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र                                                    | 16           |
| 12      | परियोजना का बार चार्ट                                                                              | 17           |
| 13      | रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र                                                    | 18           |
| 14      | प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र          | 19           |
| 15      | प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र | 20           |
| 16      | आम सभा का प्रमाण-पत्र                                                                              | 21           |
| 17      | परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण-पत्र                                                              | 22           |
| 18      | वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र                                               | 23           |
| 19      | परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र                                                   | 24           |
| 20      | भू-वैज्ञानिक की आख्या                                                                              | 25           |
| 21      | भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र                   | 26           |
| 22      | टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र                                            | 27-28        |

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR  
DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S District Collector Tehri Garhwal, at New Tehri in which application claiming rights in **Narendra Nagar** Block area measuring **0.12** hect for the construction of **33/11 kv sub station at village Gular (chameli)** in Tehsil Narendra Nagar of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; New Tehri

Dated: 3/May/2015

District Collector -cum-Chairman

District Tehri Garhwal

New Tehri  
(युगल किशोर पन्त)  
जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

## FORM-II

(for projects other than linear project )  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector ,New Tehri

No. 429/XXVI(2013-14)

Dated 3 Mar 2015

### To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects; it is certified that **0.12** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarkhand Power Corporation Ltd** (name of user agency) for **33/11 kv substation at village (Gular) Chameli** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Gular (chameli) village (s) in **Narendra Nagar** Tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.12** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.
- the proposal for such diversion (with full of the project and its implication in vernacular /Local language ) have been placed before each concerned Gram sabha of forest -dwellers who are eligible under the FRA.
- The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out, and that they given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures if any, having understood the purpose and detail of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Gular (chameli) villages is enclosed as annexure.
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha present.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- The right of Primitive Tribal Group and Pre-Agricultural Communities where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(c) of the FRA.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(गुल किशोर पन्त)

जिलाधिकारी

टीहरी गढ़वाल

It is further certified that minutes of 33/11kv S/s at gullar regarding FRA is as following.

Date - 19-2-15

| s.no. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Remark                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a)   | The complete process for identification & settlement of rights under the FRA had carried out for the entire 0.12 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation & meeting of the forest right committee(s) & sub division level committee(s) & district level committee are enclosed annexure. | Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes & other traditional forest dwellers.                                                                                                           |
| (b)   | The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed & the nagar palika parishad have given consent to it.                                                                                                                                            | Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes & other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of afore said 33/11kv S/s is attached. |
| (c)   | The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups & pre agricultural communities                                                                                                                                                                                                                             | Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes & other traditional forest dwellers.                                                                                                           |

*Suman*  
सुमन पुण्डरीर  
सदस्या जिला पंचायत  
47 बडीर फटी बोरी  
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

*अक्षय*  
19/2/15  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर

*[Signature]*  
नरेन्द्रनगर वन प्रदायक  
मूनि-की-रेडी

*[Signature]*  
(सुबल किशोर पन्त)  
जिला निरीक्षक  
टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- ग्राम - बूलर में 33/111K.V. उपस्थान का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेंद्र नगर  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के  
तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेंद्र नगर

क्र 457/2015 (अ.प्र.सं.)-15  
उपखण्ड मुनी की रेनी

परिक्षेत्र के अन्तर्गत  
(042 हे० आरक्षित वन

भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ..... हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात्  
कुल 042 हे० वन भूमि ) का प्रयोक्ता  
एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य  
परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेंद्र नगर) की दिनांक  
19-02-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की  
मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन  
अधिकार समिति की बैठक श्री मनीष कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक  
में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री मनीष कुमार सिंह

अध्यक्ष

2- श्री सुदीप कुमार

उप

वनाधिकारी

सदस्य

3- श्री श. सिद्धि नोहर

सहायक

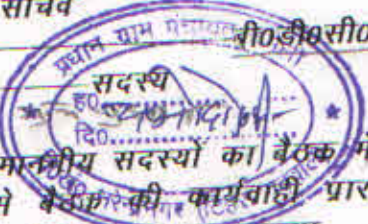
समाज

अधिकारी

सदस्य/सचिव

4- श्री

5- प्रधान उपस्थिति-वर्तनी



SDM  
NARENDRA NAGAR

उपजिलाधिकारी

उप प्रमाणित अधिकारी  
देवप्रयाग प्रमाण  
नरेंद्रनगर वन प्रमाण  
कल्याण

क्षेत्र

6193

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप  
जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय  
सदस्यों को अवगत कराया गया कि

योजना हेतु 12 हे० वन भूमि

पुनर्देवी  
सदस्य

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने

क्षेत्र पंचायत बैराई गांव  
वि० ख०- नरेंद्रनगर (दि० ग०)

हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रदीप कुमार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नेरु नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु 0.12 हे० वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार  
समिति

तहसील—नेरु नगर

जनपद—बि. नगर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, हिंदी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार  
समिति

तहसील—नेरु नगर

जनपद—बि. नगर

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चमेली (खो)  
तहसील \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_

अनापत्ति प्रमाण पत्र  
उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अन्तर्गत ग्राम-मुजर में 32111 KV उपखण्ड  
के निर्माण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु (0.12 हे० आरक्षित

वन भूमि, \_\_\_\_\_ हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि

\_\_\_\_\_ हे०) अर्थात् कुल 0.12 हे० वन भूमि का

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं  
वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चमेली (खो) द्वारा  
दिनांक 10-2-2015 को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता  
एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत  
करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के  
प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी  
ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी  
आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा  
है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर  
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया  
/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चमेली (खो) के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि VPC प्रयोक्ता एजेन्सी  
को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत चमेली  
वि० ख० नरेन्द्रनगर (टि०)

ह०/-

सदस्य  
क्षेत्र पंचायत बैराई गांव  
वि० ख०- नरेन्द्रनगर (टि० ग०)



ग्राम सचिव ✓  
प्रधान

ग्राम

नोट :- ' यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

पुनम देवी  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत बैराई गांव  
वि० ख०- नरेंद्रनगर (दि० ग०)



दिनांक 10/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चमेली-गुल

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर   |
|---------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1       | प्रेम सिंह 510 श्री चन्दन सिंह                   | प्रेम सिंह  |
| 2       | कुकर सिंह 510 श्री चन्दन सिंह                    | कुकर सिंह   |
| 3       | भगवान सिंह 510 जगत सिंह                          | भगवान सिंह  |
| 4       | सरत सिंह 510 भागवत सिंह                          | सरत सिंह    |
| 5       | रघुवीर सिंह 510 मातंग सिंह                       | रघुवीर सिंह |
| 6       | धन सिंह 510 श्री गणेश                            | धन सिंह     |
| 7       | कुव सिंह 510 धीरग सिंह                           | कुव सिंह    |
| 8       | सुख सिंह 510 प्रताप सिंह                         | सुख सिंह    |
| 9       | दरभान सिंह 510 प्रताप सिंह                       | दरभान सिंह  |
| 10      | जमान सिंह 510 केशव सिंह                          | जमान सिंह   |
| 11      | गोपल सिंह 510 मातंग सिंह                         | गोपल सिंह   |
| 12      | उतम सिंह 510 अजय सिंह                            | उतम सिंह    |
| 13      | अन सिंह 510 अजय सिंह                             | अन सिंह     |
| 14      | देव सिंह 510 अजय सिंह                            | देव सिंह    |
| 15      | देव सिंह 510 अजय सिंह                            | देव सिंह    |
| 16      | का सिंह 510 अजय सिंह                             | का सिंह     |
| 17      | अजय सिंह 510 अजय सिंह                            | अजय सिंह    |
| 18      | भगवान सिंह 510 अजय सिंह                          | भगवान सिंह  |
| 19      | रघुवीर सिंह 510 अजय सिंह                         | रघुवीर सिंह |
| 20      | अन सिंह 510 अजय सिंह                             | अन सिंह     |

पुनर्मिली  
सदस्य

क्षेत्र पंचायत चैराई गांव  
वि० ख०- नरेन्द्रनगर (वि० न)

ह०/-

ग्राम प्रधान



गोपाल सिंह



P-T.O

- 21- वासुदेव - धन सिंह / अजय सिंह
- 22- सीतल सिंह
- 23- अजय सिंह
- 24- अजय सिंह
- 25- अजय सिंह
- 26- अजय सिंह
- 27- अजय सिंह
- 28- अजय सिंह
- 29- अजय सिंह
- 30- अजय सिंह
- 31- अजय सिंह

अजय सिंह  
अजय सिंह  
अजय सिंह  
अजय सिंह  
अजय सिंह

अजय सिंह  
अजय सिंह  
अजय सिंह  
अजय सिंह  
अजय सिंह

# UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD.

(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०)

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER  
(Govt of Uttarakhand Undertaking)  
ELECTRICITY DISTRIBUTION CIRCLE TEHRI  
TEHRI GARHWAL, C/O EDD TEHRI  
E-MAIL :- edctehri@yahoo.in



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)  
विद्युत वितरण मंडल, टिहरी  
टिहरी गढ़वाल। द्वारा वि०वि०ख०टि०  
EMAIL:- edctehri@yahoo.in

No. 24 /EDC(T)/

Date: 23/01/15

## OFFICE MEMORENDUM

This is to certify that Amit Kumar, Executive Engineer, Electricity Distribution Division, Tehri is authorised to file all Forest Land transfer proposals in Tehri District on behalf of Uttarakhand Power Corporation Ltd. (UPCL).

  
(Mohit Joshi)  
Superintending Engineer  
EDC, Tehri

## विषय सूची

| क्र०सं० | प्रपत्र                                                                                            | पृष्ठ संख्या   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1       | प्रतिवेदन                                                                                          | 01             |
| 2       | परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति                                                         | 02, 2A         |
| 3       | भारत सरकार के प्रपत्र                                                                              | 03-06          |
| 4       | संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट                                                                           | 07, 7A         |
| 5       | प्रभावित वन भूमि का लैंड शैड्यूल                                                                   | 08             |
| 6       | प्रभावित वृक्षों की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची                                                 | 09-11          |
| 7       | बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र                                                     | 12             |
| 8       | राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र                                            | 13             |
| 9       | प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र                                              | 14<br>14A, 14B |
| 10      | क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना                                                         | 15<br>15A      |
| 11      | क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र                                                    | 16             |
| 12      | परियोजना का बार चार्ट                                                                              | 17             |
| 13      | रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र                                                    | 18<br>18A, 18B |
| 14      | प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र          | 19             |
| 15      | प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र | 20             |
| 16      | आम सभा का प्रमाण-पत्र                                                                              | 21<br>21A      |
| 17      | परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण-पत्र                                                              | 22             |
| 18      | वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र                                               | 23             |
| 19      | परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र                                                   | 24             |
| 20      | भू-वैज्ञानिक की आख्या                                                                              | 25<br>25A, 25B |
| 21      | भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र                   | 26             |
| 22      | टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र                                            | 27-28          |

|    |                                                                                     |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 23 | वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र                         | 29                |
| 24 | अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र  | 30                |
| 25 | धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र                        | 31                |
| 26 | लामान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र            | 32                |
| 27 | दुग्ने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र | 33                |
| 28 | पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र                         | 34                |
| 29 | वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र                                                     | 35                |
| 30 | एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र                                             | 36                |
| 31 | लागत लाभ विशलेषण प्रमाण-पत्र                                                        | 37-39             |
| 32 | प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र                       | 40                |
| 33 | परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना                              | 41                |
| 34 | मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र                                               | 41A, 41B<br>42-43 |
| 35 | आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण-पत्र               | 44                |
| 36 | लीज अवधि का प्रमाण-पत्र                                                             | 45                |
| 37 | जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान                                  | 46                |
| 38 | प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान एवं मदवार विवरण                                  | 47                |
| 39 | परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें                                                 | 47A<br>48         |
| 40 | पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण-पत्र              | 49                |